निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

28 माघ 1935 (श0)

(सं0 पटना 159) पटना, सोमवार, 17 फरवरी 2014

श्रम संसाधन विभाग

निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण बिहार, पटना।

अधिसूचना
13 जुलाई 2009

सं० 1548—भारत संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार–राज्यपाल, श्रम संसाधन विभाग के अन्तर्गत निदेशाालय नियोजन एवं प्रशिक्षण (प्रशिक्षण पक्ष) के अधीन राजपत्रित पदों के भर्ती एवं प्रोन्नति को विनियमित करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं।

बिहार औद्योगिक प्रशिक्षण सेवा नियमावली 2009
भाग–1

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ** :–
   (1) यह नियमावली ''बिहार औद्योगिक प्रशिक्षण सेवा नियमावली, 2009'' कही जा सकेगी।
   (2) यह पूरे बिहार राज्य में लागू होगी।
   (3) यह तुरत प्रवृत्त होगी।
2. **परिभाषायें** :–इस नियमावली में जब तक कोई बात विषय या संदर्भ के विरुद्ध न हो–
   (क) ''राज्यपाल'' से तात्पर्य है, बिहार के राज्यपाल,
   (ख) ''सरकार'' से तात्पर्य है बिहार राज्य सरकार;
   (ग) ''आयोग'' से तात्पर्य है बिहार लोक सेवा आयोग; तथा
   (घ) ''सेवा के सदस्य'' से तात्पर्य है बिहार औद्योगिक प्रशिक्षण सेवा के सदस्य।
3. **बिहार औद्योगिक प्रशिक्षण सेवा की श्रेणी/स्तर** ।–बिहार औद्योगिक प्रशिक्षण सेवा राज्य सेवा होगी और इसके सदस्य राज्य स्थित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों शिक्षु प्रशिक्षण योजना एवं निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण के प्रशिक्षण पक्ष के तकनीकी राजपत्रित पंक्ति के पदाधिकारी होंगे।

4. **(क) पद का सोपान, नियुक्ति/प्रोन्नति हेतु/अनुपात, शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभवः—**

क्र0 सं0	पदनाम/ग्रेड	सीधी नियुक्ति एवं प्रोन्नति का क्रमशः अनुपात	प्रोन्नति के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता	सीधी नियुक्ति के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव।
1	2	3	4	5
1	उप प्राचार्य/ उपाधीक्षक	75:25	किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्थान से इंजीनियरिंग में डिप्लोमा अथवा समकक्ष।	(क) अनिवार्य योग्यता—किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से इंजीनियरिंग में डिग्री या समकक्ष योग्यता। (ख) किसी कारखाने में पर्यवेक्षकीय हैसियत से एक वर्ष का अनुभव अथवा किसी मान्यता प्राप्त तकनीकी शैक्षणिक संस्थान में शिक्षण कार्य करने का एक वर्ष का अनुभव।
2	प्राचार्य/सहायक निदेशक प्रशि0/ परीक्षा नियंत्रक/ क्षेत्रीय निरीक्षी पदाधिकारी	75:25 (क्रमांक—1 कॉलम—1 में दिये गये पद से प्रोन्नति।	किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्थान से इंजीनियरिंग में डिप्लोमा अथवा समकक्ष।	(क) किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय /संस्थान से इंजीनियरिंग में डिग्री या समकक्ष योग्यता। (ख) किसी कारखाने में पर्यवेक्षकीय हैसियत से एक वर्ष का अनुभव अथवा किसी मान्यता प्राप्त तकनीकी शैक्षणिक संस्थान में शिक्षण कार्य करने का दो वर्ष का अनुभव।
3	प्रवर कोटि प्राचार्य	शत्—प्रतिशत प्रोन्नति (क्रमांक—2 कॉलम—2 में दिये गये पद से)		
4	उप निदेशक प्रशिक्षण	शत्— प्रतिशत प्रोन्नति (क्रमांक—3 कॉलम—3 में दिये गये पद से)		
5	संयुक्त निदेशक प्रशिक्षण	शत्— प्रतिशत प्रोन्नति (क्रमांक—4 कॉलम—4 में दिये गये पद से)		

(ख) **कालावधि**—सेवा के विभिन्न ग्रेड/पद पर प्रोन्नति हेतु न्यूनतम कालावधि वही होगी जो सरकार के कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा समय—समय पर अवधारित की जाय।

(ग) सरकार समय—समय पर यह निर्धारित करेंगी कि ऐसी सेवा की प्रत्येक कोटि में कितने पद सृजित किये जायेंगे तथा इस सेवा में अतिरिक्त स्थायी अथवा अस्थायी पद भी सृजित कर सकेगी।

(घ) सेवा के विभिन्न ग्रेड में पूर्व से नियुक्त एवं कार्यरत व्यक्ति इस सेवा में स्वतः शामिल समझे जायेंगे।

भाग—2
सीधी भर्ती

5. **भर्ती का स्त्रोत** ।—(क) बिहार औद्योगिक प्रशिक्षण सेवा में सीधी भर्ती आयोग की अनुशंसा के आधार पर की जायेगी।

(ख) इस नियमावली के भाग—3 के नियमों के अनुसार इस सेवा के पदाधिकारियों की प्रोन्नति यथानिर्दिष्ट अनुपात में की जायेगी। किन्तु इस सेवा के श्रेणी—1 के पदों पर नियुक्ति केवल प्रोन्नति द्वारा की जायेगी।

6. **रिक्तियों का निर्धारण** ।—सरकार प्रत्येक वर्ष के 1ली अप्रैल तक सेवा में सीधी नियुक्ति एवं प्रोन्नति हेतु रिक्तियों को अलग—अलग निर्धारित करेगी। रिक्तियों की अधियाचना बिहार लोक सेवा आयोग/विभागीय प्रोन्नति समिति को 30 (तीस) अप्रैल तक विभाग द्वारा सामान्यतः भेजी जायेगी।

7. **विज्ञापन** ।—सीधी नियुक्ति हेतु रिक्तियों की अधियाचना प्राप्त होने पर आयोग समय—समय पर उन रिक्तियों को भरने की अनुशंसा देने हेतु यथोचित रीति से विज्ञापित करेगा। लोक सेवा आयोग से प्राप्त अनुशंसा सूची, विभाग में प्राप्ति के 1 (एक) वर्ष तक मान्य होगी।

8. **उम्र सीमा** ।—सीधी नियुक्ति हेतु न्यूनतम उम्र सीमा अधियाचना के वर्ष की 1ली अगस्त को 22 वर्ष से कम नहीं एवं अधिकतम उम्र सीमा वही होगी जो सरकार के कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा समय—समय पर निर्धारित की जाय।

9. **(क) नियोजन प्रक्रिया** ।— रिक्त पदों पर सीधी नियुक्ति के निमित्त आयोग को अधियाचना भेजी जायेगी। आयोग द्वारा विज्ञापन निर्गत कर आवेदन आमंत्रित किये जायेंगे। उम्मीदवारों की मेधा सूची आरक्षण कोटिवार शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव तथा साक्षात्कार के आधार पर आयोग द्वारा तैयार की जायेगी।शैक्षणिक योग्यता तथा साक्षात्कार का पूर्णांक 100 (एक सौ) अंक होगा।

जिसका विभाजन निम्नवत् होगा :–

(i) निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के लिए कुल अंक 60 (साठ)।
शैक्षणिक योग्यता पर अंको का निर्धारण कुल प्राप्तांक के प्रतिशत को 0.6 के गुणक से गुणा करके होगा। उदाहरण स्वरुप यदि किसी अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 90 हो तो उसे 90 x 0.6 =54 अंक मिलेंगे।
परन्तु Cummulative Grade Point Average (CGPA) के प्राप्तांक को 10 से गुणा कर उसे प्रतिशत में परिवर्तित किया जायेगा।

(ii) साक्षात्कार के लिए कुल अंक 40 (चालीस)।
इस प्रकार शैक्षणिक योग्यता तथा साक्षात्कार का कुल पूर्णांक 100 (एक सौ अंक) होगा।

(ख) **आरक्षण ।**–सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत आरक्षण प्रावधान नियुक्तियों में लागू होंगे।

10. **आवेदन ।**–उम्मीदवार आयोग द्वारा निर्धारित विहित प्रपत्र में आयोग के सचिव के पास उस तिथि के भीतर आवेदन करेगा जो इसके लिए आयोग द्वारा अधिसूचित की जायेगी। विहित प्रपत्र आयोग से प्राप्त किया जा सकेगा।

11. **परीक्षा शुल्क ।**–उम्मीदवार द्वारा आयोग द्वारा निर्धारित शुल्क देय होगा।

12. **उम्मीदवार अपने आवेदन पत्र के साथ निम्न प्रमाण–पत्र अवश्य संलग्न करेंगे**:–

(क) ऐसा प्रमाण जिससे यह पता चले कि आवेदित पद के लिए नियम–4 में विहित योग्यता प्राप्त है।

(ख) उम्र का प्रमाण–पत्र जो साधारणतः प्रवेशिका या समकक्ष प्रमाण–पत्र होगा।

(ग) निदेशी (रेफरीज) के रुप में ऐसे दो व्यक्तियों के नाम जो उम्मीदवार के व्यक्तिगत जीवन से परिचित हो और जो संबंधी नहीं हो। उम्मीदवार ऐसे व्यक्तियों के लिखित प्रशंसा–पत्र तभी पेश करें या कॉलेज के प्राध्यापक या प्राचार्य का नाम तभी निर्दिष्ट करें जबकि वे उम्मीदवार के घरेलू जीवन से परिचित हो।

(घ) आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के लिए सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण–पत्र।

13. **अन्य प्रमाण पत्र ।**–इस नियमावली के पूर्वगामी उपबंधों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी आयोग किसी उम्मीदवार से उसकी उपयुक्तता विषयक किसी बात के संबंध में ऐसे अतिरिक्त प्रमाण–पत्र की अपेक्षा कर सकेगा जो वह आवश्यक समझें।

14. **साक्षात्कार हेतु तकनीकी विशेषज्ञ ।**–आयोग प्रायः सभी आवेदन पत्रों पर विचार करेगा किन्तु केवल उन उम्मीदवारों से साक्षात्कार करेगा, जिन्हें वह नियुक्ति के लिए उपयुक्त समझेगा। तकनीकी विशेषज्ञ जिसे सरकार इसके लिए नियुक्त करें, साक्षात्कार में भाग लेंगे। इसके अतिरिक्त आयोग अपने स्तर से भी तकनीकी विशेषज्ञ को रख सकेगा।

15. साक्षात्कार के लिए चुने गये उम्मीदवारों को अपने ही खर्च से ऐसे समय और स्थान पर उपस्थित होना होगा जिसके संबंध में उन्हें यथा समय सूचना दी जायेगी।

16. **साक्षात्कार एवं मेधा सूची ।**–आयोग साक्षात्कार के लिए बुलाये गये उम्मीदवारों के बीच से सरकार द्वारा निर्धारित संख्या में नाम निदेशित करेगा और इन नामों को नियमानुसार मेधा क्रम से विन्यस्त करेगा और ऐसे उम्मीदवारों की सूची उस तारीख तक सरकार के पास भेज देगा, जैसे निदेशित किया गया हो।

17. आयोग नियम–16 के अधीन अपना सिफारिश भेजते समय विभिन्न कोटि के आरक्षित वर्गों से सफल उम्मीदवारों के दावों पर विचार करेगा एवं आरक्षित वर्गों के रिक्तियों के अनुसार अलग–अलग कोटिवार अनुशंसित उम्मीदवारों की सूची नियम–16 के अनुसार सरकार को भेजेगा।

18. सरकार आवश्यक जॉच के बाद इस विषय में अपने समाधान कर लेने पर कि उम्मीदवार लोक सेवा में नियुक्ति के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त है, उम्मीदवारों का अंतिम चुनाव उन उम्मीदवारों के बीच करेंगी, जिनके नाम नियम–16 के अधीन आयोग द्वारा निदेशित किये गये हो।

19. **उम्मीदवार की चिकित्सीय जॉच ।**–अनुशंसित उम्मीदवार को स्वस्थ होना चाहिए, तथा उन्हें किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित नहीं होना चाहिए। अतएव अनुशंसा के पूर्व उम्मीदवारों के स्वास्थ्य का परीक्षण आयोग द्वारा गठित चिकित्सा बोर्ड से आयोग करायेगा। जो उम्मीदवार अपने शारीरिक स्वास्थ्य के संबंध में चिकित्सा बोर्ड को संतुष्ट न कर सकेगा उसकी अनुशंसा आयोग नहीं करेगा।

भाग—3
प्रोन्नति

20. बिहार औद्योगिक प्रशिक्षण सेवा के प्रोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों पर नियुक्ति के प्रयोजनार्थ इस नियमावली के अधीन ऐसे प्रोन्नति के पात्र व्यक्तियों में से आयोग/विभागीय प्रोन्नति समिति वरीयता क्रम एवं नियम—4 क में निर्धारित योग्यता एवं सरकारी आरक्षण नियमों के आधार पर चुनाव करेगी। प्रोन्नति के पूर्व अन्य शर्तों के अतिरिक्त सेवा की संपुष्टि आवश्यक होगी। निम्न पद से अगले उच्च पद पर प्रोन्नति के लिए अर्हता की अवधि वही होगी, जो इस उद्देश्य से सरकार के कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा समय—समय पर निर्धारित की जायेगी।

21. संयुक्त निदेशक प्रशिक्षण के पद पर प्रोन्नति उप—निदेशक प्रशिक्षण संवर्ग से की जायेगी। इसी प्रकार उप—निदेशक के पद पर प्रोन्नति प्रवर कोटि प्राचार्य के पदधारकों तथा प्राचार्य के पदों पर उप—प्राचार्य/उपाधीक्षक के पदधारकों से नियम 4(क) में निर्धारित योग्यता के आधार पर की जायेगी।

22. प्रोन्नति के लिए अर्हता प्राप्त नामों के अधियान क्रम से विन्यस्त कर उसकी सूची गोपनीय अभिलेखों/चरित्रपुस्ति और संगत कागजात (अभिलिखित संलेख) प्रोन्नति समिति के समक्ष रखी जायेगी। यदि विभागीय प्रोन्नति समिति किसी व्यक्ति की प्रोन्नति को रोके रखने का निर्णय लेती है तो ऐसे मामलों में बंद लिफाफा पद्धति अपनायी जायेगी। नियम—23 के विहित प्रोन्नति समिति की अनुशंसा के आधार पर ही प्रोन्नति दी जायेगी।

23. **प्रोन्नति समिति ।**—

(क) प्राचार्य एवं समकक्ष, प्रवर कोटि प्राचार्य एवं समकक्ष तथा उप—निदेशक के पदों पर विभागीय प्रोन्नति समिति की संरचना निम्न प्रकार होगीः—

1. विकास आयुक्त, बिहार सरकार	अध्यक्ष
2. प्रधान सचिव/सचिव, मानव संसाधन विकास विभाग	सदस्य
3. कार्मिक एवं प्र''ासनिक सुधार विभाग के एक प्रतिनिधि	सदस्य
4. प्रधान सचिव/सचिव, स्वास्थ्य विभाग	सदस्य
5. कार्मिक एवं प्र0सु0विभाग द्वारा मनोनीत अनु0जाति/अनु0जनजाति का एक प्रतिनिधि	सदस्य
6. प्रधान सचिव/सचिव, श्रम संसाधन विभाग	सदस्य सचिव

(ख) उप प्राचार्य/उपाधीक्षक एवं संयुक्त निदेशक के पद पर विभागीय प्रोन्नति समिति की संरचना निम्न प्रकार होगी :—

(i)	अध्यक्ष/सदस्य, बिहार लोक सेवा आयोग	अध्यक्ष
(ii)	प्रधान सचिव/सचिव, मानव संसाधन विकास विभाग	सदस्य
(iii)	प्रधान सचिव/सचिव, कार्मिक एवं प्र0सु0 विभाग	सदस्य
(iv)	प्रधान सचिव/सचिव, स्वास्थ्य विभाग	सदस्य
(v)	कार्मिक एवं प्र0सु0विभाग द्वारा मनोनीत अनु0जाति/अनु0जनजाति का एक प्रतिनिधि	सदस्य
(vi)	प्रधान सचिव/सचिव, श्रम संसाधन विभाग	सदस्य

(ग) राज्य सरकार द्वारा समय—समय पर निर्गत प्रोन्नति समिति के गठन संबंधी आदेश प्रभावी होंगे।

24. बिहार औद्योगिक प्रशिक्षण सेवा के पदाधिकारियों के लिए निम्नांकित वेतनमान स्वीकृत है जो समय—समय पर सरकार के आदेश से परिवर्तित हो सकेंगेः—

(1)	संयुक्त निदेशक प्रशिक्षण	14300—18300 रुपये
(2)	उप निदेशक प्रशिक्षण	12000—16500 रुपये
(3)	प्रवर कोटि प्राचार्य संवर्ग के पद—	10000—15200 रुपये
(4)	श्रेणी—II (प्राचार्य/सहायक निदेशक/परीक्षा नियंत्रक/ क्षेत्रीय निरीक्षी पदाधिकारी	6500—10500 रुपये
(5)	श्रेणी—II (उप प्राचार्य/उपाधीक्षक)	6500—10500 रुपये

25. उम्मीदवार की ओर से नियुक्ति अथवा प्रोन्नति एवं स्थानान्तरण में किसी तरह की पैरवी उनकी अयोग्यता समझी जायेगी।

26. **आरक्षण ।**—सरकार द्वारा समय—समय पर प्रोन्नति हेतु निर्गत आरक्षण प्रावधान प्रोन्नति में लागू होंगे।

27. (1) परिवीक्षा अवधि :—सेवा की मौलिक रिक्तियों पर की जाने वाली सभी नियुक्तियॉ, भले ही वे सीधी भर्ती द्वारा की जाय या प्रोन्नति द्वारा परिवीक्षा के आधार पर की जायेगी। इसकी अवधि दो वर्ष की होगी।

(2) विभागीय परीक्षा ।—परिवीक्षा अवधि में नियुक्त पदाधिकारी से ऐसी परीक्षाऍ उत्तीर्ण करने की अपेक्षा की जा सकेगी जो सरकार द्वारा विहित की जाए।

(3) यदि किसी परिवीक्षाधीन पदाधिकारी का कार्य या आचरण सभी प्रकार से संतोषप्रद न हो या यह पता चले कि उसमें दक्षता आने की कोई संभावना नहीं है तो परिवीक्षा अवधि एक वर्ष के लिए बढ़ायी जा सकेगी। यदि वर्द्धित अवधि में भी कार्य/आचरण संतोषजनक नहीं हो तो उसे यथास्थिति पदमुक्त या उसके मौलिक पद पर पदावनत कर दिया जा सकेगा।

(4) सरकार इस पद के लिए इस नियम द्वारा विहित परिवीक्षा अवधि में इस अवधि की गणना अनुमत कर सकेगी जिस (अवधि) में किसी व्यक्ति ने इस सेवा के किसी पद पर स्थानान्तरण या अस्थायी नियुक्तियॉ धारण की हो।

(5) सम्पुष्टि ।–परिवीक्षा अवधि पूरी हो जाने पर पदाधिकारी द्वारा विहित विभागीय परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने के पश्चात् सेवा सम्पुष्ट किया जायेगा।

किन्तु नियमावली के प्रवृत्त होने की तिथि तक पूर्व से नियुक्त पदाधिकारियों को विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण होने की अनिवार्यता नहीं होगी।

28. **वरीयता** ।–सेवा में नियुक्त पदाधिकारियों की वरीयता का निर्धारण सरकार के कार्मिक एवं प्र0सु0 विभाग द्वारा समय–समय पर निर्धारित सिद्धांत एवं प्रक्रिया के अनुसार होगा।

29. **सामान्य** ।–इस नियमावली में स्पष्ट रुप से यथा उपबंधित को छोड़कर इस सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा शर्तें ऐसी होगी जो तत्समय प्रवृत्त समुचित नियमों द्वारा समय–समय पर विनियमित की जाय।

30. **कठिनाई दूर करने की शक्ति**।– इन नियमों की व्याख्या की शक्ति सरकार में निहित रहेगी एवं यदि इनकी व्याख्या में कोई भी कठिनाई उपस्थित हो तो सरकार का निर्णय अंतिम होगा।

31. **निरसन**।–इस सेवा को विभिन्न कोटियों के संबंध में पूर्व में निर्गत अनुदेश, संकल्प आदि निरसित समझे जायेंगे।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
(ह0) अस्पष्ट,
सरकार के उप–सचिव।

The 13th July 2009

No. 1548—In exercise of the powers conferred by the provision article 309 of the constitution of India, the government of Bihar is pleased to make the rules, regulating recruitment and promotion of gazetted officers under the directorate employment and training (training wing) labour resources department as follows:-

THE BIHAR INDUSTRIAL TRAINING SERVICE RULES 2009

Part - I

1. *Short Title Extension and Commencement :-*
   1. These rules may be called "THE BIHAR INDUSTRIAL TRAINING SERVICE RULES 2009"
   2. This will be applicable in all Bihar State
   3. This will be come into force with immediate effect
2. *Definition.*—In these rules, unless there is anything repugnant to the subject or context:-

a.	"Governor"	means the Governor of Bihar
b.	"Government"	means the Govt. Of State of Bihar
c.	"Commission"	means the Bihar Public Service Commission
d.	"Member of the Service"	means a member of BIHAR INDUSTRIAL TRAINING SERVICE

3. *Class/Status of Bihar Industrial Training Service* .—The Bihar Industrial Training Service will be a state service and all the gazetted Technical officers of Industrial Training Institute/Apprenticeship scheme and Directorate Employment and Training (Training Wing) will be its member.

4. (A) **Post, Appointment/Promotion Ratio/ Educational Qualification/Experience** :-

Sl. No.	Designation/Grade	Direct Recruitment and Promotion	Minimum Educational Qualification for Promotion	Minimum Educational Qualification and Experience for Direct Recruitment
1	2	3	4	5
1.	Vice Principal/Deputy Superintendent	75:25	A Diploma in Engineering or Equivalent from any recognised University/Institution	Degree in engineering or Equivalent from Recognised University/Institution (2) One Year Supervisory experience from Reputed Factory or One Year Teaching Experience from Recognised Teaching Institution
2.	Principal I.T.I./Assistant Director(Training)/ Controller of Examination/ Regional Inspecting Officer	75:25(Promotion from the post given in serial no 1 & column no. 1)	A Diploma in Engineering or Equivalent from any recognised University/Institution	Degree in engineering or Equivalent from Recognised University/Institution (2) One Year Supervisory experience from Reputed Factory or One Year Teaching Experience from Recognised Teaching Institution
3.	Selection Grade Principal I.T.I./ Regional Inspecting Officer	100% by Promotion (From the post given in serial no. 2 & column no. 2)		
4.	Dy. Director Training	100% by Promotion (From the post given in serial no. 3 & column no. 3)		
5.	Joint Director Training	100% by Promotion (From the post given in serial no. 4 & column no. 4)		

(B) **KALAWADHI**: - The minimum time for the Promotion for different grade/post will be decided by the Department of Personnel & Administration Reform time to time.

(C) The Government shall determine the number of posts to be created in each category of the service and may create additional permanent or temporary post in the service.

(D) All Officers already appointed and working will be automatically member of this service.

Part—II
DIRECT RECRUITMENT

5. *Source of Recruitment:-*
   (a) the officers in the Bihar Industrial Training Service shall be recruited on the recommendation of "commission".
   By direct recruitment in accordance with the rules prescribed in Part –III of these Rules.
   (b) By promotion in appropriate proportion of officers already in this service accordance with the rules in Part –III of these rules, but the post of class I will be filled up only by Promotion.
6. *Fixation of Vacancies.*—Government will fix up separate vacancies for direct recruitment and promotional post till 1st April every year. Requisition of vacancies will be communicated to Bihar public service commission/ departmental promotion committee up to 30th April generally.
7. *Advertisement.*—Commission will advertise the vacant post as per rule for recommendation to fill up the vacant post after receiving the vacancies for direct recruitment. The recommended list of candidate from commission will be valid up to one year from the date of receipt of the list in Department.
8. *Age.*—For Direct Recruitment the age of the candidate should not be less than 22 years on the 1st August of the requisite year and the maximum age as prescribed by the department of personnel & administrative Reform time to time.
9. (A) *Recruitment Process.*—vacancies of vacant post for direct recruitment will be sent to commission. Commission shall advertise those vacancies of services as specified and application shall be invited from the qualified candidates.

   Merit list of candidates will be prepared by the commission on the basis of category wise reservation, academic qualification, Experience & Interview.

   Marks of Academic & Interview will be of 100 marks. Division of marks will be as follows: —
   (i) Calculation of academic marks will be decided by total percentage of marks multiplied by 0.6 as example if any candidate got total 90% marks then the academic marks will be 90 x0.6=54.
   But the conversion of cumulative grade point average (CGPA) marks into percentage will be decided by multiplying by 10.
   (ii) Total marks of interview : 40 marks
   Total marks for academic and interview will be 100 marks

9 (B) *Reservation.*—Time to time issued government reservation policy will be applicable in appointment.

10. *Application.*—the candidate will send his/her application in prescribed form to the secretary commission within the date fixed by the commission. The prescribed form may be obtained from the commission.
11. Examination fee.—the candidate must deposit the fee as per Bihar public service commission rule.
12. The candidate should enclose the following documents/certificate along with his/her application form:—
   (i) Certificate in proof of the qualification prescribed in rule 4.
   (ii) The matriculation or equivalent certificate will be considered as proof of age.
   (iii) The names of two referees who are personally known to him/her but not in family relation should be mentioned and recommendation letter from them should be submitted or the names of the principal/Head master familiar with the candidate, but not related to him/her may be mentioned in lieu thereof.
   (iv) In case of reserved candidates, the cat certificate issued by competent authority.

13. *Other Certificates.*—Except the provisions already recorded in the rules, the commission reserves the right to ask for such certificate which may be considered as essential for the suitability or his/her candidature.
14. *Technical expert for interview.*—Generally the commission will consider all the application received but only those candidates will be called for interview whom the commission considers suitable for appointment. Technical expert authorised by government will be a member of the selection committee as technical expert at the time of interview. Apart from that commission may also appoint a technical expert at own level.
15. The candidate should have to face the interview on the scheduled date, place and time at his own cost.
16. *Interview and merit list.*—commission will recommend the name in appropriate number as per Government direction with in the candidate called for interview and prepare a merit wise list and send the list of the selected candidate to the government within a specific period as directed
17. The commission will consider the claims of different reservation category candidates at the time of sending list of the selected candidates under rule 16. Commission will prepare a category wise selected candidate list as per vacancies under rule 16 and send to government.
18. After needful verification and satisfaction that candidates fulfil all criteria for public service appointment. The Government will finally select the candidates from the list recommended by the commission under rule 16 for their appointment.
19. *Medical examination of the candidates.*—The candidate should be healthy and sound physique. He/she should not suffer from any cronical disease. The medical board constituted by commission will examine the candidates before recommendation. If the candidate fails to satisfy the Medical Board he/she will not be considered for appointment.

Part- III
Promotion

20. In case of promotion from the different cadre posts of this Bihar Industrial Training Service selection will be made in order of seniority and qualification prescribed under Rule -4 and government reservation policy. Service confirmation along with other condition before promotion is essential. The period after which a person holding a lower post may be eligible for promotion to the next higher post shall be as prescribed by the Department of Personnel & Administration Reform of the Government time to time.
21. The post of Joint Director of training will be filled up from the cadre of Deputy Director Training, likewise the post of the Deputy Director of Training, will be filled up from the cadre of the officers of Class-I Selection Grade Principals/ Regional Inspecting Officer/. Similarly, the post of Principal/ Regional Inspecting Officer shall be filled up from the post holders of Vice Principal/ Deputy Superintendent as per qualification mentioned in Rule 4(A).
22. Proposal for consideration of promotional cases will be put up before promotion committee according to gradation list along with character roll and other documents duly prepared and signed by the Government. In case of departmental promotion committee withholding promotion of a person, sealed cover procedure shall be followed. Cases of promotion will be considered on the recommendation of Promotion Committee as per Rule -23.
23. *Promotion Committee.*—

    (A) The composition of departmental promotion committee for promotion of the post of Principal & its equivalent, selection grade Principal & its equivalent & Deputy Director shall be as follows :-

1	Development Commissioner Govt. Of Bihar	Chairman
2	Principal Secretary/ Secretary, Department of Human Resources Development, Govt. Of Bihar	Member

3	An Officer of the Personal & Administrative Reform Department, Govt. Of Bihar	Member
4	Principal Secretary/ Secretary, Department of Health, Govt. Of Bihar	Member
5	An officer of SC/ST Representative Nominated by Personal & Administrative reform Department, Govt. Of Bihar.	Member
6	Principal Secretary/ Secretary, Department of Labor Resources, Govt. of Bihar	Member Secretary

(B). The composition of departmental promotion committee for promotion to the post of Vice Principal/ Deputy Superintendent and Joint Director shall be as follows:-

1	The Chairman/ Member, Bihar Public Service Commission	Chairman
2	Principal Secretary/ Secretary, Department of Human Resources Development, Govt. Of Bihar	Member
3	An Officer of the Personal & Administrative Reform Department, Govt. Of Bihar	Member
4	Principal Secretary/ Secretary, Department of Health, Govt. Of Bihar	Member
5	An officer of SC/ST Representative Nominated by Personal & Administrative reform Department, Govt. Of Bihar.	Member
6	Principal Secretary/ Secretary, Department of Labor Resources, Govt. of Bihar	Member Secretary

(C). Circular Issued by Government time to time for formation of Promotion Committee will be applicable.

24. The following scales are available for officers of **Bihar Industrial Training Service**. Which are liable to be revised from time to time by the government.

1	Joint Director Training	Rs	14300-18300
2	Dy. Director Training	Rs	12000-16500
3	Selection grade Principal	Rs	10000-15200
4	Class-II (Principal/ Assistant Director/ Controller of Examination/ R.I.O.)	Rs	6500---10500
5	Class-II (Vice Principal/ Dy. Superintendent)	Rs	6500---10500

25. Any approach for appointment or promotion and transfer will be considered disqualification on the part of the candidate.

26. **Reservation: -** Time to time issued Government Reservation policy will be applicable in promotion.

27. *(1) Probation Period.—* Appointment against the basic vacancy either by direct appointment or by promotion will be considered on probation. This period shall be of two years.

(2) Departmental Examination.— During the probation period the appointed officer may be required to pass such examinations, which may be prescribed by the Government.

(3) If any probationary Officer's action and character is not found satisfactory or there is not possibility or his/her being efficient in future, the probation period may be extended for one year more. If officer's action and character is not found satisfactory during extended period, he may be terminated or reverted to his basic post.

(4) The period during which a person has held transfer or temporary appointment in a post in the service likely be allowed by the Government to count towards the period of probation prescribed by this rule for that post.

(5) Confirmation.— On conclusion of the period of probation, an officer shall be confirmed provided he/she has passed departmental examination.

But There will be a relaxation to pass the departmental examination to the officers directly recruited or promoted before issuance of this Rule.

28. *Seniority.*— The Seniority of the officers appointed in this service will be decided by the circular/principle issued by department of Personal & Administrative reform. Govt. Of Bihar.

29. *General.*— Except as expressly provided by these rules the condition of service of persons appointed to the service shall be regulated by appropriate rules prescribed for Govt. Servants in force at that time.

30. *Power of resolve problems.*— Power to explain the rules mentioned will be vested in Government and if any problem arises in explanation of rule. The decision of Government

31. *Repeal* .—All the previous Rules, resolutions, etc in respect of different categories of their service stand repealed with the coming into force of these rules.

By order of the Governor of Bihar,
SIRAJUDDIN ANSARI,
Deputy Secretary to the Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 159-571+500-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in